न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीताराम जी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 127/2018 अपील (RCMS/2018/000140)
पंजीयन दिनांक — 11.09.2019
निर्णय दिनांक — 11.09.2019

1. श्री केसूलाल पिता स्व. श्री हर्षलाल डांगी, निवासी केसरपुरा एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री प्रेमचन्द पिता स्व. श्री केवलाजी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—
1. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील अपीलान्ट

प्रकरण संख्या—40/2016, श्री प्रेमचन्द डांगी बनाम श्री केसूलाल डांगी में न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2017 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—76 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या—40/2016, श्री प्रेमचन्द डांगी बनाम श्री केसूलाल डांगी में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- रेस्पोडेंट श्री प्रेमचन्द डांगी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा के नामान्तरकरण संख्या—4455 दिनांक 08.11.2013 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—75 भू—राजस्व अधिनियम पेश की और निवेदन किया कि उसके, श्री प्रेमचन्द डांगी, द्वारा राजस्व ग्राम आयड, पटवार क्षेत्र मादड़ी पुरोहितान में स्थित खाता नई 280 व पुरानी 271 के आराजी संख्या 974, 980मी., 2792/975, 2793/979 कुल किता 4 रकबा 0.2100 में से स्थित उसके 50/2100 वें हिस्से में से 0.0050 हेक्टेयर भूमि तथा खाता नई 223 पुरानी 641 की आराजी संख्या 975 व 979 की रकबा 0.0500 हेक्टेयर में उसके 1/2 हिस्से में से कुल 0.0100 हेक्टेयर भूमि, कुल 0.0150 हेक्टेयर (1600 वर्गफिट) को श्री केसुलाल डांगी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.11.2013 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। परन्तु

राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से नामान्तरकरण संख्या–4455 स्वीकृत करते समय उपरोक्त आराजीयात में श्री प्रेमचन्द के हिस्से में से विक्रित भूमि 0.0150 हेक्टेयर के बजाय 0.0300 हेक्टेयर भूमि को श्री केसुलाल डांगी के नाम दर्ज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण संख्या–4455 न्यायहित में निरस्त फरमाया जाना आवश्यक है।

- जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा रेस्पोडेंट श्री प्रेमचन्द डांगी की अपील निर्णय दिनांक 07.07.2017 को पारित किया गया, जिसमें प्रासंगिक अनुच्छेद निम्न प्रकार से हैः

  ''विक्रय पत्र के पृष्ठ संख्या 3 के प्रथम पेरा में सहवन से यह अंकित कर दिया गया है कि 'मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार का 1/2 का हक व हिस्सा है जिस सम्पूर्ण 1/2वें हक व हिस्से की 0.0250 हैक्टेयर कृषि भूमि को इस विक्रय पत्र द्वारा आप द्वितीय पक्षकार को विक्रय किया गया है' परन्तु विक्रय पत्र का आगे अध्ययन करने पर यह स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंट को कुलिया 0.0150 हेक्टेयर कृषि भूमि यानिकी एक कृषि भुखण्ड के रूप में जिसका कुलिया क्षेत्रफल 1600 वर्गफिट ही है जिसका विक्रय किया गया है।

  उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलीय नामान्तरकरण विक्रय पत्र की मंशा के अनुरूप नहीं खोला गया है। अतः अपीलीय नामान्तरकरण मौजा आयड़ पटवार सर्कल मादड़ी पुरोहितान के नामान्तरकरण संख्या 4455 दिनांक 08.11.2013 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को यह आदेशित किया जाता है कि वह नये सिरे से विक्रय पत्र तादादी 12,51,000/– दिनांक 08.11.2013 के आधार पर दोनों पक्षों को सुनकर पारित करें।''

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय 07.07.2017 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 11.09.2018 को अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित, रेस्पोडेंट की ओर से बाद तामिल कोई उपस्थित नहीं। दिनांक 13.08.2019 को अधिवक्ता अपीलान्ट की एकतरफा बहस एवं पक्ष सुना गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 0.0150 हेक्टेयर का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम बहाल रखते हुए बकाया भूमि का नामान्तरकरण निरस्त किया जाना चाहिए था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा न कर नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए मामला तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया जो काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी रेस्पोडेंट श्री प्रेमचन्द ने विक्रय विलेख अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नामान्तरकरण में संशोधन का

आदेश दिया जाना था परन्तु उनके द्वारा त्रुटि कारित करते हुए सम्पूर्ण नामान्तरकरण निरस्त करते हुए तहसीलदार को जांच कर सभी पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करने का आदेश दिया, जो काबिल निरस्त के है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारणों एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम की ओर ध्यान आकृष्ट कर मयाद कन्डोन किये जाने का अनुरोध किया। अन्त में अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की खरीदशुदा 0.0150 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम बहाल रखा जाकर बकाया जमीन रेस्पोडेंट के नाम दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत अपील पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम का पेश किया और तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी को समय पर सूचना नहीं दिये जाने प्रश्नगत अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ, जिसे क्षम्य किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित हुए, ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी को आलौच्य आदेश की जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि वह एक वर्ष से अधिक समय से अधिवक्ता द्वारा उसको सूचित नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में पारित निर्णय को एक वर्ष से अधिक देरी उपरान्त अपीलार्थी द्वारा बिना किसी विधिक कारण के चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस विलम्ब के लिए जो कारण दिये है, वह एक वर्ष की अवधि के उपशमन के लिये न तो उचित है, न ही पर्याप्त। ऐसी स्थिति में विलम्ब की परिसीमा का शमन स्वीकृत किये जाने का कोई आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम का खारिज किया जाता है।

उपरोक्त समग्र विवेचन अनुसार हम अपील अपीलान्ट सारहीन होने एवं मयाद बाहर होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 07.07.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर